

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 07 अगस्त, 2015

विषय- जनपद सोनभद्र में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0;30 हेठा आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2266/11-सी-यूपी037/2015, दिनांक 15-6-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ०एन० संख्या -11-9/98/एफसी, दिनांक 01-02-2013 के क्रम में जनपद सोनभद्र में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0;30 हेठा आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैदांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (2) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या -एस०वी०-25230, कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

- (4) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (5) नोडल अधिकारी, ३०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की ५ तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (6) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (8) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर वाध्यकारी होगा।
- (9) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, ३०प्र० सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (10) भारत सरकार के पत्र संख्या- ५-३/२००७ एफसी (पीटी), दिनांक १९-८-२०१० तथा पत्र संख्या- J-11013/41/२००६-IA-II(I), दिनांक ०२ दिसम्बर, २००९ के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (11) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (12) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।
- (13) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (14) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० रच्यतम् व्यायालय से भवगा

- (15) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (16) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (17) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (18) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।
- (19) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (20) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,


(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-पी-17(1)/14-2-2015-तददिनांक तटैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोध रोड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
- 2- महलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
- 4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा जनपद सोनभद्र।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव